REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P, LUCKNOW

IN THE MATTER OF:-

ORIGINAL APPLICATION NO. 490/2019

IN RE: T. S. SINGH

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE	1 - 7
2.	Annexure - 1	8 – 13
3.	Annexure - 2	14-45

REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE IN COMPLIANCE OF THE ORDER OF THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PASSED IN OA NO. 490 OF 2019 IN RE: T.S. SINGH VS STATE OF UTTAR PRADESH WITH REGARD TO PREVENTION OF DISCHARGE OF UNTREATED SEWAGE INTO SAI RIVER AT PRATAPGARH IN UTTAR PRADESH

***

1. Introduction:

The Hon'ble NGT vide order dated 05.08.2019 had considered the issue relating to discharge of untreated sewage into Sai River at Pratapgarh in Uttar Pradesh. Prior to it, the Hon'ble NGT had taken up this case on 05.08.2019, 02.01.2020, 07.10.2020 and 09.06.2021. The issue has been pending solution for the past 11 Years and accountability needs to be fixed for continued pollution. In this case diversion/misappropriation of funds has also been noticed which calls for disciplinary and criminal actions against concerned persons. The Hon'ble NGT in its order dated 09.06.2021 had considered the reports of Oversight Committee dated 01.06.2021 and action taken report of the Department of Urban Development, U.P. dated 08.06.2021. Directions are as follows:

> *"7. We have heard learned Counsel for the State of UP and also the Additional Chief Secretary, Urban Development Department, U.P. present by video conferencing. We are in agreement with the report of the OC that there is no satisfactory progress. There is continued violation of directions of the Hon'ble Supreme Court in Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Vs. Union of India & Ors.4 and orders of this Tribunal. This is resulting in contamination of drains and then of River Sai, which later meets Ganga.*
>
> *8. Contamination of water sources is a punishable offence under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 for the last 49 years. The stand of the State atleast since 30.8.2019 (when first report was filed by the PCB as noted earlier) is that the STP was started in 2009 and completed in 2010 to the extent of 95%. The same is not been made operational for the last 11 years. Earlier funds have been illegally misappropriated but no meaningful action is being taken against the violators. Action plan in terms of order of this Tribunal dated 20.9.2018 in OA 673/2018 was prepared which included requisite STP being operated within the timeline mentioned therein even though more than two years have passed. Repeatedly, plea is that unless NMCG funds are available from Central Government, the Municipal Council concerned and the Urban*

Development Department will not comply with the constitutional obligation of preventing discharge of pollution is being reiterated against the mandate of law laid down by the Hon'ble Supreme Court in Municipal Council, Ratlam v. Shri Virdhichand & Ors. as well as Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Vs. Union of India & Ors., supra. This plea is being raised again in spite of its rejection by the Tribunal earlier. Non-availability of NMCG funds cannot be a justification for not stopping pollution. If funds are available from any source, the Tribunal has no objection to the same but in any case, the concerned authorities cannot avoid their responsibility under the public trust doctrine, if necessary, by raising funds, as per directions in the Supreme Court judgment."

"11. Thus, even after all possible opportunities, there is either inability to understand simple legal position or unwillingness to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal out of defiance. Above statement shows that for making STP, which is said to have been 95% complete 11 years back, and allotted funds having been misappropriated, operation will require 12 months after award of work. There being no firm date of award of work, timeline given has no practical meaning. It is also not being delinked from NMCG. Thus, in effect the stand is that it will never be done as NMCG has no fixed commitment of providing funds sought within reasonable time. Already 11 years have gone by. In our view this is irresponsible behaviour of the officer who perhaps knows nothing about the value of environmental norms and effect of violation on public health, food safety, aquatic life and over-all environment. The river stretch is loaded with daily disposal of 8.5 MLD sewage effluent causing septicity of the river on account of high fecal coliform and BOD. In spite of mandate of the Water Act, 1974 and the judgement of the Hon'ble Supreme Court in Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Vs. Union of India & Ors, supra, fixing deadline of 31.3.2018 for taking all necessary steps to ensure treatment of sewage before discharge in water bodies, there is no willingness of some officers to even take small step to prevent discharge of pollution in water sources and untenable excuses are raised. This attitude has led to large number of water bodies, including most revered river Ganga remaining polluted. As already mentioned, River Sai involved in the present case is also a tributary of Ganga. The stretch of river Sai between Unnao to Jaunpur is falling under category P-V. UP PCB has not provided feedback to the OC on formulation of Sai Action Plan and functioning of RRC. Further, PCB has failed to provide water quality data of river Sai, as directed vide order dated 07.10.2020.

12. The above serious defiance may call for stringent action when violation of order of the NGT itself is criminal offence under Section 26 of the NGT Act, 2010 punishable with sentence upto three years and fine upto rupees ten crore. It is also executable as decree of Civil Court under Section 25 of the NGT Act read with Section 51(d) CPC, including by civil imprisonment.

13. Taking a lenient view in the matter and giving last opportunity for remedial action, factoring in the pandemic and the plea that the officer has been given this charge since February, 2021, but to uphold public interest and rule of law, we direct imposing of cut of Rs. 1,000/- per month from the salary of the officer till compliance, with further warning of more stringent action unless there is compliance and change in attitude towards compliance of law. If compliance is ensured and affidavit filed to the satisfaction of this Tribunal before the next date, the Tribunal may consider restoring the cut and refunding the deducted amount. The Member Secretary, UP PCB may explain why action be not taken for failure of the PCB pointed out hereinabove – not providing water quality data of Sai, functioning of RRC and reporting the progress to the Chief Secretary. The PCB may also report further progress in the matter of recovery of compensation assessed and initiation of prosecution proposed."

2. Compliance Status of UP Jal Nigam:

The highlights of the compliance report of UP Jal Nigam dated 11.10.2021 are as follows:

a. Arrangement of funds: In the meeting date 01.10.2021 held under the chairmanship of the Director General, NMCG, it had approved an amount of Rs. 39.98 crore for the interception and diversion of 4 drains discharging their waste into the River Sai along with completion of remaining construction work of STP. UP Jal Nigam post financial and administrative from the State Government will require approximately 3 month for tendering work and 2 years for completion of work.

b. Action taken against erring officers: Originally the estimated cost of the STP was Rs. 18.21 74 crores . Out of the total fund received for this project, Rs. 14.9787 crore was utilized and Rs. 3.2387 crore was diverted to other works. As the officials responsible for the diversion had already retired before any departmental proceedings could be initiated against them, an FIR has been lodged against them on 30.08.2020 under section 409, 419 and 420 of the IPC. The details of the erring officers/agency are as follows:

SL.No.	Name	Designation
1	Sh. Rajesh Khare	Executive Engineer
2	Sh. Rakesh Kumar Srivastava	Divisional Accountant

3	Sh. Rampal Ram	Head Clerk
4	M/s Thermax Ltd., Chinchwad, Pune	Contractor Firm

In the letter dated 30.09.2021 of The Superintendent of Police, Pratapgarh provide by the UP Jal Nigam dated, it has been clearly mentioned that the IO had visited the Jal Nigam office to collect the relevant documents. However, he has not received records from the Jal Nigam office in this matter till date.

c. Action against the Firm: A show-cause notice dated 12.04.2021 had been issued to the M/s Thermax Ltd., Chinchwad, Pune by the Chief Engineer for blacklisting the firm. The final order issued in this regard is not yet known.

Detailed compliance report of UP Jal Nigam is annexed as **Annexure 1.**

3. **Compliance status of UPPCB:**

The highlights of the compliance report of UPPCB dated 13.10.2021 are as follows:

1. **On water quality:** During the meeting of Oversight committee date 04.10.2021, it was informed by the EO, Pratapgarh that Bioremediation has resulted in improvement of the water quality in these drains. Payment to the service provider is made on the basis of water quality report received every month. The CEO, UPPCB informed that since February 2020 regular monitoring of the drains is being done by them also. He affirmed that post bioremediation some improvement has been observed in the water quality of the drains. Details shared by him after the meeting is summarized below:

A. A brief of water quality analysis report of the drains is as follows:

S.No.	Sampling point (Name of Drain)	Parameters recorded beyond permissible limit even after Bioremediation process						
		Feb 2020	Mar 2020	Nov 2020	Jan 2021	June 2021	Sep 2021	Oct 2021

1	Ramlila Maidan Drain		BOD, FC	FC	BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC, pH, TSS	FC
2	Bhuliyapur Drain		TSS, BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC, pH, TSS	FC,
3	City Drain	TSS, BOD, FC	BOD FC	BOD, FC	BOD, FC	FC	BOD, FC, pH, TSS	BOD, FC
4	Police line Drain			BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC	BOD, FC, pH, TSS	

B. The above table shows that the water quality of these drains is not good and is falling in category- D at all the locations sampled each time. It is not suitable for consumption without conventional treatment and disinfection. Also, it is not suitable for outdoor bathing. Only propagation of wildlife and fisheries could be done in the Sai River. Water samples recorded with high total coliform beyond 5000MPN/100 ml, pH was within the range of 7.18 to 8.38, DO was within the range of 5.4 to 7.8 mg/l, BOD was within the range of 4.2 to 5.2 mg/l. The details are enclosed as ***Annexure-2.***

2. **On Environmental Compensation:** It was informed that after following the due procedure an environmental compensation of Rs 36.50 crores has been imposed against the Municipal Corporation, Pratapgarh for non-compliance of the directions of Hon'ble NGT. As the Municipality has taken bioremediation measures to prevent the discharge of polluted water into the river Sai post Feb 2020 on all the drains, there is no need to impose EC further. At present 12.96 MLD sewage is being generated in the Municipal Council, Pratapgarh. For the treatment of this sewage a modular STP was constructed in which arrangements were made to perform screening, aeration and filtration of the sewage. It was informed that it is operational from 15.01.2020. The UPPCB had inspected the Municipal Council, Pratapgarh on 22.02.2020. During the inspection it was found that in the Municipal

Council, Pratapgarh only a part of the total amount of sewage generated is being treated within the facility and rest is bypassed through drain which directly falls into River Sai. UPPCB collected the samples of the sewage being bypassed from the STP. The water quality of the samples was found beyond the permissible limit. Thus, Nagar Palika Parishad, Pratapgarh is violating the water (Control of Pollution and Prevention) Act 1974 section 24 and is punishable under section 43. UPPCB have sent a letter to the MoEF&CC for the prosecution of Shri. Mudit Singh, Executive officer, Municipal Committee, Pratapgarh under section-197 of the Code of Criminal Procedure followed by reminder to the Additional Chief Secretary, Urban Development Department but their response is still awaited.

Detailed compliance report is annexed as Annexure 2.

4. Recommendations

In view of the above we recommend as follows:

1. The allocation of the fund has been done by the NMCG, the UP Government and Jal Nigam may be directed to organize all subsequent activities in a manner that the remaining works of the original project get completed in the shortest possible time. For this, the UP Government should share a timeline for various activities with the Oversight Committee within a month and submit a monthly progress report, which in turn, will submit a quarterly report to the Hon'ble NGT.
2. From the list of the erring officials it is visible that the responsibility has been fixed only on those directly responsible for executing the project. Had the supervisory officers done their job properly, the diversion could have been detected in time and it would have been possible to take departmental action against the erring officials. This would have also prevented the infrastructure created by spending Rs. 15 crore of public money from remaining idle for such a long time. The UP Government and Jal Nigam need to identify such supervisory officers in one month and take appropriate action against them in 6 months.

3. From the report of the SP, Pratapgarh received through the UP Jal Nigam, it is apparent that the IO had not received the relevant documents from the local Jal Nigam office till now. In other words, even after 13 months of lodging the FIR, the investigation is at a very nascent stage. Apparently, these officers have also violated the Environmental Protection Act 1986. The UP Government (Home & Urban Department) must ensure that the investigation is completed at the earliest and all culprits are taken to task under the gamut of law.
4. Monthly water quality reports of 7 months between February 2020 to October 2021 clearly suggest that bioremediation is not being done effectively to control water pollution of the river Sai. However, no action has been initiated by the UPPCB against the erring persons. EO Pratapgarh need to be directed to ensure that the water quality of the drains discharging into the river Sai is within the permissible limits and the UPPCB needs to be directed to take prompt and effective action in case of non-compliance of environmental laws.

The Member Secretary, UPPCB is directed to send this report to the Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi for placing the same before the Hon'ble Tribunal with a copy to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh for necessary action. The report also be uploaded on the website of the Committee.

22-10-2021	22-10-2021
X Anant Kumar Singh	X SVS Rathore
Anant Kumar Singh Member, Oversight Committee Signed by: ANANT KUMAR SINGH	Justice SVS Rathore Chairman, Oversight Committee Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

Oct 22, 2021

Annexures: As above

Please visit our website: ***oscngt.upsdc.gov.in*** for more information.

Annexure-1

E-mail- ceganga_upjn@yahoo.in

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय – 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्या – 904 / 022– 490–2019 / 2021

दिनांक– 11 .10.2021

सेवा में,

श्री ए0एन0 बाजपेई,
(पी0पी0एस0)
मा0 सदस्य, ओवर साइट कमेटी,
एन0जी0टी0, यू0पी0
लखनऊ –226010

विषयः–**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सख्या 490 / 2019 "टी0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" के अनुपालन विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मा0 ओवर साइट कमेटी द्वारा दिनांक 04.10.2021 को वीडियों कॉन्फ्रेंन्सिंग के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सख्या 490 / 2019 "टी0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में मा0 ओवर साइट कमेटी द्वारा विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में मा0 ओवर साइट कमेटी द्वारा चाही गयी बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् हैः–

क0	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	प्रतापगढ़ नगर के सई नदी में प्रवाहित हो रहे 04 नालों के आई0 एण्ड डी0 एवं तत्सम्बन्धी कार्यो की प्रेषित डी0पी0आर0 की अद्यतन स्थिति।	महानिदेशक, एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 37वीं कार्यकारी समिति की दिनांक 01.10.2021 को वीडियों कॉन्फ्रेंन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक में प्रतापगढ़ नगर के सई नदी में प्रवाहित हो रहे 04 नालों के आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 कार्य हेतु विरचित योजना, अनुमानित लागत रू0 39.98 करोड़ (15 वर्षों के संचालन एवं रख–रखाव की लागत सहित), **स्वीकृत कर दी गयी है**। बैठक का कार्यवृत्त एन0एम0सी0जी0 द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध कराया जायेगा। योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त लगभग 03 माह का समय निविदा प्रकिया में एवं LOA निर्गत होने के उपरान्त लगभग 02 वर्ष का समय योजना में प्रस्तावित कार्यो का पूर्ण होना सम्भावित है।
2	धनराशि के व्ययवर्तन हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध प्रारम्भ की गयी अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्यवाही।	योजनार्न्तगत रू0 1821.74 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई जिसके सापेक्ष रू0 1497.87 लाख का व्यय हुआ। शेष धनराशि रू0 323.87 लाख का व्ययवर्तन तत्कालीन अधिकारी / कर्मचारी द्वारा किया गया था। धनराशि के

क0	बिन्दु	अनुपालन आख्या
		व्ययवर्तन हेतु निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं एस0टी0पी0 का निर्माण करने वाली फर्म उत्तरदायी हैं:– 1. श्री राजेश खरे (सेवा निवृत्त 28.02.2018), अधिशासी अभियन्ता 2. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव (सेवा निवृत्त 31.05. 2017), खण्डीय लेखाकार 3. श्री रामपाल राम (सेवा निवृत्त 30.06.2016), मुख्य लिपिक कार्यालय, खण्डीय लेखाकार 4. श्री सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, नैतिक लिपिक (सेवा निवृत्त 31.01.2014, स्वर्गवास माह जून–2020) 5. मैं0 थर्मेक्स लिमिटेड, चिचवाड़ पूणे शहर महाराष्ट योजना में प्राप्त धनराशि का व्ययवर्तन वित्तीय वर्ष–2011–12 से 2013–14 के मध्य हुआ। घटना के 04 वर्ष व्यतीत होने तथा उपर्युक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण सी0एस0आर0 के नियम 351–ए में कार्यवाही सम्भव नहीं थी। अतः उक्त अधिकरियों/कर्मचारियों एवं कार्यदायी फर्म के विरूद्ध दिनांक 30.08.2020 को आई0पी0सी0 की धारा–409, 419, एवं 420 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है। तत्क्रम में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या वाचक–अपराध (प्रगति आख्या)/2021 दिनांक 30.09.2021 **(प्रति संलग्न)** द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 का निस्तारण नहीं हो सका है एवं विवेचना प्रचलित है। उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ द्वारा मै0 थर्मेक्स लि0, पुणे को ब्लैकलिस्ट किये जाने हेतु प्रेषित पत्र के कम मुख्य अभियन्ता (कय) द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.04.2021 द्वारा मै0 थर्मेक्स लि0, पुणे को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ को अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
3	क्या योजना हेतु स्वीकृत धनराशि पूल फण्ड के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी एवं तत्कालीन उच्चाधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई ?	जनपद प्रतापगढ़ के सीवेज निस्तारण हेतु प्रतापगढ़ सीवरेज योजना, वर्ष 2009–10 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रू0 1821.74 लाख हेतु स्वीकृत की गयी थी। योजना हेतु स्वीकृत धनराशि पूल फण्ड के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हुई थी।

क0	बिन्दु	अनुपालन आख्या
		योजना के सापेक्ष वर्ष 2009–2013 के मध्य उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से रू0 323.87 लाख का व्ययवर्तन, निर्माण खण्ड, तत्कालीन उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़ में कार्यरत तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया था। उक्त व्ययवर्तन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति से सम्बन्धित अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अद्यावधि तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। प्रकरण में उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्यवाही, मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी की दिनांक 25.08.2020 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के उपरान्त प्रारम्भ की गयी।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुशील कुमार पटेल)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

पृ.सं. एवम् दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़।

पत्र संख्याः वाचक–अपराध(प्रगति आख्या) / 2021 दिनांकः–सितम्बर ,2021

सेवा में,

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण),
6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

कृपया आप अपने पत्र संख्याः–170 / संप्र0नि0(कैम्प) / 2021 दिनांकः–30.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता श्री घनश्याम द्विवेदी, कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड,उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांकः–30.08.2020 को थाना को0नगर प्रतापगढ़ पर पंजीकृत कराये गये मु0अ0स0ः–762 / 20 धाराः–409,419,420 भा0द0वि0 की प्रगति आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी हैं।

उपरोक्त सन्दर्भ में सादर अवगत कराना हैं कि अभियोग में श्री घनश्याम द्विवेदी अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम प्रतापगढ़ के लिखित तहरीर पर दिनांकः–30.08.2020 को थाना को0 नगर प्रतापगढ़ पर मु0अ0स0ः–762 / 20 धाराः–409,419,420 भा0द0वि0 बनाम 1.राजेश खरे सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी पुत्र स्व0 करतार खरे नि0 अल्लापुर प्रयागराज 2.राकेश कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकार पुत्र स्व0 पन्ना लाल श्रीवास्तव नि0 341 / 02 ए शास्त्री नगर परियापुर प्रयागराज 3.रामपाल राम सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक खण्डीय लेखाकर पुत्र दरोगा राम नि0 काशीपुर बलिया 4.मेशर्स थर्मेक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस डीएम डीसी इन्डस्ट्रीयल एरिया आर डी ए जी ए रोड चिन्नवाड़े पुणे द्वारा मिली भगत से जलनिगम के कार्य को सम्पूर्ण ढ़ंग से न पूरा करने फर्जी तरीके से जालसाजी करके सरकारी धन का प्रयोग करने एवं अभिलेखों से हेराफेरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था, उपरोक्त अभियोग की विवेचना वर्तमान में उ0नि0 राधेबाबू द्वारा की जा रही हैं, अब तक की विवेचना से अंतिम पर्चा 06 दिनांकः–09.07.2021 को किता कर प्रेषित किया जा चुका हैं, तथा मुकदमा उपरोक्त के वादी श्री घनश्याम उपरोक्त द्वारा जलनिगम आफिस जाकर प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु कहा गया परन्तु उनके पास इलाहाबाद व प्रतापगढ़ का कार्यभार था जिससे उपलब्ध नहीं हो सके तथा उन का स्थानान्तरण जनपद प्रयागराज होने के कारण विवेचना प्रचलित हैं। उ0नि0 श्री राधेबाबू थाना को0 नगर प्रतापगढ़ की मूल रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

30.09.21

पुलिस अधीक्षक,
प्रतापगढ़।

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय

प्रतापगढ

विषयः मु0अ0सं0 0762/2020 धारा 409/419/420 भादवि की प्रगति आख्या के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 30.08.2020 को वादी मुकदमा श्री घनश्याम द्विवेदी अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम प्रतापगढ के लिखित तहरीर पर अभियुक्तगण 1. राजेश खरे सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी सुत स्व0 करतार खरे नि0 अल्लापुर प्रयागराज 2. राकेश कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त खण्डीय लेखाकर सुत स्व0 पन्नालाल श्रीवास्तव नि0 341/2A शास्त्रीनगर परियापुर प्रयागराज 3. रामपाल राम सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक खण्डीय लेखाकर सुत दरोगा राम नि0 काशीपुर बलिया 4. मेशर्स थर्मेक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस डीएम डीसी इन्डस्ट्रीयल एरिया आर डी ए जी ए रोड चिन्नवाडे पुणे द्वारा मिली भगत से जलनिगम के कार्य को सम्पूर्ण ढंग से न पूरा करने फर्जी तरीके से जालसाजी करके सरकारी धन का प्रयोग करना एवम् अभिलेखो से हेराफेरी करने के सम्बन्ध में दाखिल किया जिसके सम्बन्ध मे था ना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0762/2020 धारा 406/419/420 भादवि विरुद्ध राजेश खरे आदि 04 नफर पंजीकृत हो गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अमरनाथ द्वारा सम्पादित की गयी उनके स्थानान्तरण चले जाने कारण विवेचना उ0नि0 कमलेश कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही थी उनके स्थानान्तरण पर चले जाने के कारण उक्त विवेचना मुझ उ0नि0 राधेबाबू को सुपुर्द की गयी अबतक की तमामी विवेचना से अंतिम पर्चा नं0 06 दि0 09.07.2021 को किता कर प्रेषित किया जा चुका है तथा मुकदमा उपरोक्त के वादी श्री घनश्याम उपरोक्त द्वारा जलनिगम आफिस जाकर प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु कहा गया परन्तु उनके पास इलाहाबाद व प्रतापगढ का कार्यभार था जिससे उपलब्ध नहीं हो सके तथा उन का स्थानान्तरण जनपद प्रयागराज होने के कारण विवेचना प्रचलित है जो निस्तारण नहीं हो सका।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

30.9.21

उ0नि0 राधेबाबू

थाना कोतवाली नगर

प्रतापगढ़

सुशील कुमार पटेल
आई.ए.एस.
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ–226001

पत्रांक : 170 / सं0प्र0नि0(कैम्प) / 2021 / दिनांक : 30 / 09 / 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ ।

विषयः–**प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0762, दिनांक 30.08.2020 कोतवाली–सिटी के सन्दर्भ में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 03 / सं0प्र0नि0(कैम्प) / 2021 दिनांक 25.01.2021(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि शिकायतकर्ता श्री घनश्याम द्विवेदी, कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 30.08.2020 को कोतवाली सिटी, जनपद–प्रतापगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गयी थी। उक्त एफ0आई0आर0 मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–490 / 2019 टी0एस0सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य से सम्बन्धित है । ओवरसाइट कमेटी एन0जी0टी0 यू0पी0 लखनऊ द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 तथा 07.10.2020 के अनुपालन में कृत कार्यावाही की अद्यतन स्थिति की समीक्षा दिनांक 04.10.2021 को की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण पर की गयी अद्यतन कार्यवाही की स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
(सुशील कुमार पटेल)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
2. श्री घनश्याम द्विवेदी, महाप्रबन्धक, द्वितीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

D:\General Letter

39

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H67117 /सी–5/61/OA No. 490/19/21 दिनांक 13.10.21

सेवा में,

मानीय अध्यक्ष,
ओवर साईट कमेटी,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

विषय: मा0 अध्यक्ष ओवर साईट कमेटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में आहुत बैठक दिनांक 04.10.2021 को ओ0ए0 संख्या–490/2019 की प्रगति के संबंध में दिये गये निर्देश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अध्यक्ष ओवर साईट कमेटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में आहुत बैठक दिनांक 04.10.2021 में दिये गये निदेशानुसार वॉछित सूचनाऐं निम्नवत् है :–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली से फरवरी, 2020 से दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 तक सई नदी में मिलने वाले नालों से एकत्रित उत्प्रवाह नमूनें एवं सई नदी के जल नमूनों की विश्लेषण आख्या प्राप्त की गयी , जो संलग्न है **(संलग्नक–1)**।
2. राज्य बोर्ड द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहित की धारा–197 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित पत्र निम्नवत् है :–
   I. बोर्ड के पत्रांक–जी 32452/सी–5/सा0–527/2020 दिनांक 04.03.2020 द्वारा अनु सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन को नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 एवं धारा–43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया संहित की धारा–197 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था। **(संलग्नक–2)**
   II. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–जी 35526/सी–5/सा0–527/21 दिनांक 16.06.2021 एवं पत्रांक–जी 33860/सी–5/61/ओ0ए0–490/ 2019/2020 दिनांक 12/10/2020 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन स्तर से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अनुस्मारक पत्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किये गये। **(संलग्नक–3 एव 4)**
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त पत्रों के अनुकम में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्रों के विवरण निम्नवत् है:–
   I. पत्र संख्या–245/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक: मई, 2020 **(संलग्नक–5)**।

....2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

II. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन के अनुस्मारक पत्र संख्या–770 / 81–6–2020–26(पर्या) / 2017टी0सी0 दिनांक 19.10.2020 (**संलग्नक–6**)।

III. द्वितीय अनुस्मारक पत्र संख्या–378 / 81–6–2020–26(पर्या) / 2017टी0सी0 दिनांक 01.07.2021 (**संलग्नक–7**)।

IV. तृतीय अनुस्मारक पत्र संख्या–889 / 81–6–2020–26(पर्या) / 2017टी0सी0 दिनांक 11.10.2021 (**संलग्नक–8**)।

4. जनपद–प्रतापगढ़ की आबादी से जनित घरेलू जल–मल लगभग 12.96 एम.एल.डी. का निस्तारण बिना किसी शुद्धिकृत किये निस्तारित किये जाने दृष्टिगत बोर्ड द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को प्रश्नगत प्रकरण में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु राज्य बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:–

I. बोर्ड के पत्रांक–एच 48668 / सी–5 / सा0–527 / 2020 दिनांक 06.03.2020 द्वारा रूपये 36.50 करोड़ (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था (**संलग्नक–9**)।

II. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ का पत्र संख्या–1700 / न0पा0परि0–2020 दिनांक 27.03.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जो ई–मेल के माध्यम से दिनांक 24.08.2021 को प्राप्त हुआ है (**संलग्नक–10**)।

III. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ का पत्र संख्या–जी 33529 / सी–5 / सामान्य –527 / 2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में अधिशासी अधिकारी से प्राप्त प्रतिउत्तर / टिप्पणी पर प्रेषित करते हेतु पत्र भेजा गया (**संलग्नक–11**)।

IV. पुनः सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन के संख्या–771 / 81–6–2020–26(पर्या) / 2017टी0सी0 दिनांक 19.10.2020 द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया (**संलग्नक–12**)

V. उक्त निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में नगर विकास विभाग / नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से कोई टिप्पणी / प्रतिउत्तर प्राप्त न होने के कारण बोर्ड के पत्रांक–एच 62569 / सी–5 / सा0–527 / 2020 दिनांक 21.06.2021 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध रूपये 36.50 करोड़ (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी (**संलग्नक–13**)।

VI. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली द्वारा अपने पत्र संख्या–67 / ओ0ए0 490 / 2019 / आर / 2021–22 दिनांक 21.06.2021 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जमा कराने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया, जिसकी प्रति जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी (**संलग्नक–14**)।

VII. नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़ के पत्र संख्या–27 / न0प0परि0–2021 दिनांक 23.06.2021 (**संलग्नक–15**) द्वारा अध्यक्ष,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रत्यावेदन दिया गया था। उक्त प्रत्यावेदन के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली से आख्या प्राप्त

....3

की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली से प्राप्त आख्या एवं संस्तुति के अनुक्रम में नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़ के प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के पत्रांक–एच 66609 / सी–5 / एस.टी.पी. / सा0–527 / 21 दिनांक 04.10.2021 द्वारा करते हुए पुनः नगर पालिका परिषद, बेला–प्रतापगढ़ को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 36.50 करोड़ (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) बोर्ड के पक्ष में जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं **(संलग्नक–16)**

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

प्रतिलिपिः विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 354/T.S. Singh/2021-22 दिनांक–12/10/21

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मा0 अध्यक्ष ओवर साइट कमेटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक–04.10.2021 को ओ0ए0 नं0–490/2019 की प्रगति के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित अपने पत्र संख्या–एच66614/सी–5/61/ओ0ए0नं0490/2019 दिनांक–04.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के माध्यम से आप द्वारा दिनांक–04.10.2021 को माननीय अध्यक्ष ओवर साइट कमेटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में ओ0ए0 नं0–490/2019 की प्रगति के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित जनपद–प्रतापगढ़ में सई नदी एवं नालों की अद्यतन विश्लेषण आख्या पत्र के साथ पुनः संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 12/10/21

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्यालयः "पर्यावरण भवन", टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
www.uppcb.com, E-mail- roraebareli@uppcb.in

संलग्नक – 1

Test Report Format No- UPPCB/RL/RBL/TR-2021

REGIONAL LABORATORY, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Address: C-Block, Indira Nagar, Awas Vikash Colony, Raebareli-229001, U.P.
Phone: 0535-2973034

TEST REPORT

S. No	Date of Sampling	Sampling Point	Before Bio Remediation						After Bio Remediation						Percentage Reduction in BOD (%)	After Bioremediation	
			pH	TSS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)	pH	TSS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)		Parameters Within the Standard	Parameters Beyond the Standard
1	1/23/2021	Ramlila Maidan Drain	7.89	88	58	320	3,800,000	1,700,000	8.31	36	36	144	2,100,000	1,300,000	37.93	pH, TSS	BOD, FC
2	1/23/2021	Bhuliyapur Drain	7.95	68	44	256	6,300,000	3,100,000	7.81	32	32	128	350,000	43,000	27.27	pH, TSS	BOD, FC
3	1/23/2021	City Drain	7.01	152	98	384	12,000,000	9,400,000	7.79	72	44	192	1,700,000	430,000	55.1	pH, TSS	BOD, FC
4	1/23/2021	Police Line Drain	7.79	132	92	352	9,400,000	2,100,000	7.79	72	48	160	2,600,000	1,100,000	47.82	pH, TSS	BOD, FC
5	6/1/2021	Ramlila Miadan Drain	7.76	136	68	304	8,400,000	3,300,000	8.29	82	32	144	1,700,000	1,100,000	52.94	pH, TSS	BOD, FC
6	6/1/2021	Bhuliyapur Drain	8.01	72	48	304	5,400,000	2,800,000	8.21	30	34	168	3,300,000	940,000	29.16	pH, TSS	BOD, FC
7	6/1/2021	City Drain	7.21	160	72	320	9,400,000	3,300,000	7.7	70	27	156	5,800,000	280,000	62.5	pH, TSS, BOD	FC

12/10/21

Scanned with CamScanner

8	6/1/2021	Police Line Drain	7.94	128	76	336	5,400,000	1,800,000	7.6	86	34	160	2,400,000	1,100,000	55.26	pH, TSS	BOD, FC
9	9/25/2021	Ramlila Maidan Drain	7.79	192	44	304	6,300,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	No Bioremediation	-	BOD, FC, pH, TSS
10	9/25/2021	Bhuliypur Drain	7.61	182	58	304	5,400,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	No Bioremediation	-	BOD, FC, pH, TSS
11	9/25/2021	City Drain	7.92	168	57	304	9,400,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	No Bioremediation	-	BOD, FC, pH, TSS
12	9/25/2021	Police Line Drain	7.61	182	58	304	5,400,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	No Bioremediation	-	BOD, FC, pH, TSS
13	10/5/2021	Ramlila Maidan Drain	7.68	198	48	288	5,400,000	2,800,000	7.65	95	25	120	4,900,000	2,800,000	47.92	pH, TSS, BOD	FC
14	10/5/2021	Bhuliypur Drain	7.39	180	52	304	6,300,000	2,800,000	7.45	90	28	128	5,400,000	2,600,000	46.15	pH, TSS, BOD	FC
15	10/5/2021	City Drain	7.05	182	70	320	9,400,000	3,300,000	7.18	98	34	144	7,000,000	2,800,000	51.42	pH, TSS	BOD, FC
Effluent Discharge Standards for STP (13 October 2017)									6.5-9.0	<100	30	-	-	<1000	-	-	-

11/10/2021
S.A.

11/10/21
A.S.O.

R.O.
12/10/21

Scanned with CamScanner

Test Report Format No- UPPCB/RL/RBL/TR-2021

REGIONAL LABORATORY, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Address: C-Block, Indira Nagar, Awas Vikash Colony, Raebareli-229001, U.P.
Phone: 0535-2973034

TEST REPORT

S. No	Date of Sampling	Sampling Point	Before Bio Remediation						After Bio Remediation						Percentage Reduction in BOD (%)	After Bioremediation	
			pH	TSS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)	pH	TSS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)		Parameters Within the Standard	Parameters Beyond the Standard
1	2/22/2020	City Drain	7.53	156	86	270	3,800,000	7,000,000	7.7	132	36	196	2,100,000	17,000	58.14	pH	TSS, BOD, FC
2	3/18/2020	Ramlila Miadan Drain	7.92	122	48	262	54,000,000	17,000,000	7.96	88	36	242	24,000,000	7,900,000	52.94	pH, TSS	BOD, FC
3	3/18/2020	Bhuliyapur Drain	8.12	148	62	312	1,600,000,000	540,000,000	7.82	112	50	293	110,000,000	70,000,000	19.35	pH	TSS BOD, FC
4	3/18/2020	City Drain	8.01	128	46	288	92,000,000	35,000,000	7.86	96	38	246	54,000,000	24,000,000	17.93	pH, TSS	BOD, FC
10	11/18/2020	Ramlila Miadan Drain	7.9	98	68	346	2,600,000	2,100,000	7.96	38	28	142	2,200,000	1,700,000	58.82	pH, TSS, BOD	FC
11	11/18/2020	Bhuliyapur Drain	7.84	112	60	298	7,900,000	2,700,000	7.07	62	36	176	110,000	17,000	40	pH, TSS	BOD, FC
12	11/18/2020	City Drain	7.91	148	82	396	17,000,000	11,000,000	7.98	66	40	216	1,700,000	1,300,000	51.82	pH, TSS	BOD, FC
13	11/18/2020	Police Line Drain	7.88	136	76	382	13,000,000	2,700,000	7.83	54	38	188	1,700,000	1,300,000	50	pH, TSS	BOD, FC
Effluent Discharge Standards for STP (13 October 2017)									6.5-9.0	<100	30			<1000			

S.A. 11/10/2021

A.S.O. 11/10/21

R.O. 12/10/21

Scanned with CamScanner

Test Report Format No- UPPCB/RL/RBL/TR-2021

REGIONAL LABORATORY, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Address: C-Block, Indira Nagar, Awas Vikash Colony, Raebareli-229001, U.P.

Phone: 0535-2973034

TEST REPORT

S.No	Date of Sampling	Sampling Point	Parameters						Remarks
			pH	Color (Hazen)	D.O. (mg/L)	BOD (mg/L	Conductivity (mmho/cm)	TC (MPN/100 ml)	Designated Best-Use
1	22-02-2020	Sai River U/S Gai Ghat	8.09	20	7.7	*	0.339	7900	D
2	22-02-2020	Sai River D/S Railway Bridge	8.18	20	6.8	*	0.359	8600	D
3	18-03-2020	Sai River U/S Gai Ghat	8.04	20	7.8	4.2	0.342	7000	D
4	18-03-2020	Sai River D/S Railway Bridge	8.22	20	6.2	5.2	0.368	11000	D
5	22-08-2020	Sai River U/S Gai Ghat	7.79	30	6.7	4.3	0.221	4100	D
6	22-08-2020	Sai River D/S Railway Bridge	7.86	40	6	4.6	0.238	5100	D
7	18-11-2020	Sai River U/S Gai Ghat	7.82	30	6.9	4.6	0.328	6300	D
8	18-11-2020	Sai River D/S Railway Bridge	7.89	30	6.8	4.7	0.359	7900	D
Standard Class A			6.5-8.5	-	6 mg/l or more	2 mg/l or less	-	50 MPN/100 ml or less	
Standard Class B			6.5-8.6	-	5 mg/l or more	3 mg/l or less	-	500 MPN/100 ml or less	
Standard Class C			6.0-9.0	-	4 mg/l or more	3 mg/l or less	-	5000 MPN/100 ml or less	
Standard Class D			6.5-8.5	-	4 mg/l or more	-	-	-	
Standard Class E			6.0-8.5	-	-	-	2250	-	

11/10/2021
S.A.

11/10/21
A.S.O.

R.O.
12/10/21

Scanned with CamScanner

Test Report Format No- UPPCB/RL/RBL/TR-2021

REGIONAL LABORATORY, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Address: C-Block, Indira Nagar, Awas Vikash Colony, Raebareli-229001, U.P.
Phone: 0535-2973034

TEST REPORT WATER QUALITY

S.No	Date of Sampling	Sampling Point	Parameters						Remarks Designated Best-Use
			pH	Color (Hazen)	D.O. (mg/L)	BOD (mg/L	Conductivity (mmho/cm)	TC (MPN/100 ml)	
1	23-01-2021	Sai River U/S Gai Ghat	7.89	20	7.6	4.3	0.341	7000	D
2	23-01-2021	Sai River D/S Railway Bridge	7.96	30	6.5	4.7	0.381	7900	D
3	01-06-2021	Sai River U/S Gai Ghat	8.23	20	6	4.8	0.421	9200	D
4	01-06-2021	Sai River D/S Railway Bridge	8.38	30	5.4	5.2	0.438	11000	D
5	25-09-2021	Sai River U/S Gai Ghat	7.76	10	6.5	4.4	0.351	7900	D
6	25-09-2021	Sai River D/S Railway Bridge	7.8	10	6.3	4.8	0.355	9200	D
7	05-10-2021	Sai River U/S Gai Ghat	7.18	10	6.8	4.3	0.455	7900	D
8	05-10-2021	Sai River D/S Railway Bridge	7.5	10	6.4	4.6	0.461	9200	D
Standard Class A			6.5-8.5	-	6 mg/l or more	2 mg/l or less	-	50 MPN/100 ml or less	
Standard Class B			6.5-8.6	-	5 mg/l or more	3 mg/l or less	-	500 MPN/100 ml or less	
Standard Class C			6.0-9.0	-	4 mg/l or more	3 mg/l or less	-	5000 MPN/100 ml or less	
Standard Class D			6.5-8.5	-	4 mg/l or more	-	-	-	
Standard Class E			6.0-8.5	-	-	-	2250	-	

S.A. A.S.O. 11/10/21 R.O. 12/10/21

Scanned with CamScanner

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling,Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25°C micro mhos/cm Max.2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या 322452 /सी–5/ सामान्य - 527/2020 दिनांक 4-3-2020

पंजीकृत

सेवा में,

अनु सचिव
पर्यावरण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा मानको के विपरीत सीवेज निस्तारण के कारण उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–197 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ एक निगमित निकाय है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ की सीमा अन्तर्गत जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण निर्धारित मानको के अन्तर्गत किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

यह कि राज्य बोर्ड के पत्रांक– 847/एस.टी.पी./2012–13 दिनॉक 01.02.2013, 1335/नगर पालिका परिषद/पी/16–17 दिनॉक 28.01.2017, 512/एस.टी.पी./पी/2017–18 दिनॉक 15.07.2017 तथा 1305/एस.टी.पी.–स0/2017–18 दिनॉक 18.01.2018 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया।

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ का निरीक्षण राज्य बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को विधिक नोटिस दिनांक 22.02.2020 को प्राप्त कराया गया। निरीक्षण में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ सई के किनारे स्थित है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ से जनित सीवेज उत्प्रवाह को सिटी ड्रेन के माध्यम से सई नदी में निस्तारित किया जाता है, जो कि बेला नदी के समीप सई नदी में मिलती है। निरीक्षण आख्यानुसार नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ की सीमा विस्तार की आबादी के अनुसार लगभग 12.96 एम0एल0डी0 सीवेज उत्प्रवाह जनित होना सम्भावित है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ से जनित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु प्रतापगढ सीवेज स्कीम के अन्तर्गत 8.5 MLD क्षमता का FAB Technology पर आधारित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट निर्मित किया गया है। सीवेज उत्प्रवाह के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के Inlet पर न आने के कारण सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का संचालन होता नही पाया गया। मॉड्यूलर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के Inlet (city drain) एवं outlet तथा मॉड्यूलर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट से बाईपास हो रहे सीवेज उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में विशलेषित कराया गया विश्लेषण आख्या के अनुसार नगर पालिका परिषद से निस्तारित किए जा रहे उत्प्रवाह के प्रचालक बोर्ड मानको के अनुरूप नही है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 कर उल्लंघन है एवं धारा–43 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम स्तर से अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के दिन प्रतिदिन के कार्यों का उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी लोक सेवक की श्रेणी में आते है।

....2/–

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेव साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के श्री मुदित सिंह, अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया सहिता की धारा–197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

Environment Forests & CC, U.P. अनुभाग-3

(10)

पत्रांक संख्या G35526 /सी–5/सामान्य-527/21 दिनांक 16/6/21
पंजीकृत

सेवा में,

उप सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6,
उ0प्र0 शासन।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 का अवलोकन करना चाहें।

शासन द्वारा नगर पालिका परिषद को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 एवं 43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अपने पत्र संख्या–245/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0–1 दिनांक मई, 2020 द्वारा अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में यथाआवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6 को अवगत कराने हेतु लिखा गया है, परन्तु अभी तक अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गयी है। इस संबंध में बोर्ड के पत्रांक– जी 33860/सी–5/61/ओ0ए0 संख्या–490/2019/2020 दिनांक 12.10.2020 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।

अंतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मा0 एन.जी.टी. में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 के दृष्टिगत शासन स्तर से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अनुस्मरक पत्र प्रेषित करना चाहे, जिससे नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

संलग्नक-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या-H33860/सी-5/61/OA No. 490/2019/2020

दिनांक 12/10/2020

पंजीकृत

सेवा में,

अनु सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-6,
उ0प्र0 शासन।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-490/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-490/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"........The State PCB is at liberty to initiate prosecution and recover compensation following due process of law......."

शासन द्वारा नगर पालिका परिषद को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-24 एवं 43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अपने पत्र संख्या-245/81-6-2020-26(पर्या)/2017टी0सी0-1 दिनांक मई, 2020 द्वारा अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में यथाआवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-6 को अवगत कराने हेतु लिखा गया है, परन्तु अभी तक अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गयी है।

अंतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मा0 एन.जी.टी. में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) के दृष्टिगत शासन स्तर से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अनुस्मारक पत्र प्रेषित करना चाहें, जिससे नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

पत्रांक .....704 / एम एस कैम्प/20
दिनांक..... 2-6-2020

(8)

संख्या

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6
संख्या–245 / 81–6–2020–26(पर्या) / 2017टी0सी0–1
लखनऊः दिनांक : मई, 2020

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ एक निगमित निकाय है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ की सीमा अन्तर्गत जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 01.02.2013, दिनांक 28.01.2017, दिनांक 15.07.2017 तथा दिनांक 18.01.2018 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित की गयी।

नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ का निरीक्षण राज्य बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर पालिका परिषद् के प्रतिनिधि श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ को विधिक नोटिस दिनांक 22.02.2020 को प्राप्त कराया गया। निरीक्षण में पाया गया कि नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है। नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज उत्प्रवाह को सिटी ड्रेन के माध्यम से सई नदी में निस्तारित किया जाता है, जो कि बेला नदी के समीप सई नदी में मिलती है। निरीक्षण आख्यानुसार नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ की सीमा विस्तार की आबादी के अनुसार लगभग 12.96 एम0एल0डी0 सीवेज उत्प्रवाह जनित होना सम्भावित है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु प्रतापगढ़ सीवेज स्कीम के अन्तर्गत 8.5 एम0एल0डी0 क्षमता का फैब टैक्नोलॉजी पर आधारित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट निर्मित किया गया है। सीवेज उत्प्रवाह के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के इनलेट पर न आने के कारण सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का संचालन होता नहीं पाया गया। मॉडयूलर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के इनलेट (सिटी ड्रेन) एवं आउटलेट तथा मॉडयूलर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट से बाईपास हो रहे सीवेज उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में विशलेषित कराया गया विश्लेषण आख्या के अनुसार नगर पालिका परिषद् से निस्तारित किये जा रहे उत्प्रवाह के प्रचालक बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं है। नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 का उल्लंघन है एवं धारा–43 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम स्तर से अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के दिन प्रतिदिन के कार्यों के उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी लोक सेवक की श्रेणी में आते है।

C-5
29/05/2020
(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

–2–

नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के दिन प्रतिदिन के कार्यो के उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुदित सिंह, अधिशषी अधिकारी के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 एवं 43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन की स्वीकृति आवश्यक है।

2– अतः इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–जी 32452/सी–5/सामान्य–527/2020, दिनांक 04–03–2020 की प्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में श्री मुदित सिंह, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–24 एवं 43 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या–245(1)/81–6–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके उपर्युक्त पत्र संख्या–जी 32452/सी–5/सामान्य–527/2020, दिनांक 04–03–2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

(4) संलग्नक-6

अनुस्मारक

संख्या– 770/81–6–2020–26(पर्या)/2017टी0सी0

प्रेषक,

संजय सिंह
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक ..1614 /8111 / एम एस कैम्प/20
दिनांक .22/10/20

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 19 **अक्टूबर, 2020**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–जी–8860/सी–5/61/ओ0ए0नं0–490/2019/2020 दिनांक 12.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–245/81–6–2020–26(पर्या)/2017 टी0सी0–1, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा श्री मुदित सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–24 एवं 43 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–197 के अंतर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 को अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही की आख्या अभी तक अप्राप्त है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

EE(CS)/LO-1

भवदीय

(संजय सिंह)
सचिव।

21/10/20

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके पत्रांक–जी–33879/सी–5/61/ओ0ए0नं0–490/2019/2020, दिनांक 13.10.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(आशीष ...) सदस्य सचिव

EE/ASO
/10/2020

आज्ञा से

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

File No.81-6001(099)/232/2020-06-,

महत्वपूर्ण / तत्काल / द्वितीय अनुस्मारक
संख्या–378/81–6–2021–26(पर्या) / 2017 टी0सी0–1

प्रेषक,
गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 01 जुलाई, 2021

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–245 / 81–6–2020–26(पर्या) / 2017 टी0सी0–1, दिनांक 22.05.2020 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या–770 / 81–6–2020–26(पर्या) / 2017टी0सी0–1, दिनांक 19.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री मुदित सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–24 एवं 43 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–197 के अंतर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में यथावश्यक अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु प्रकरण में अभी तक कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। चूंकि प्रकरण महत्वपूर्ण है एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों से आच्छादित है।

2– अतः सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–जी35526 / सी–5 / सामान्य–527 / 21, दिनांक 16.06.2021 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासन के उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा वांछित आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

Signed by गौरव वर्मा
Date: 29-06-2021 16:02:33
Reason: Approved

भवदीय

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

12/10/21 सं-8 दि

महत्वपूर्ण / तत्काल / तृतीय अनुस्मारक
संख्या-889 / 81-6-2021-26(पर्या) / 2017 टी0सी0-1

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांकः 11 अक्टूबर, 2021**

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-490/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-245/81-6-2020-26(पर्या)/2017टी0सी0-1, दिनांक 22.05.2020, एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-770/81-6-2020-26(पर्या)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 19.10.2020 तथा द्वितीय अनुस्मारक पत्र संख्या-378/81-6-2020-26(पर्या)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 01.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री मुदित सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-24 एवं 43 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया संहित की धारा-197 के अंतर्गत सक्षम स्तर से अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में यथावश्यक अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु प्रकरण में अभी तक कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्रकरण महत्वपूर्ण है एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों से आच्छादित है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासन के उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा वांछित आख्या/अभियोजन स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

ND/EE/ASO 12/10/21

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संलग्नक-9

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

H48668

पत्रांक संख्या-........................./सी-5/ह्वा०527/2020

दिनांक 06-3-202
पंजीकृत

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

यह कि जनपद- प्रतापगढ़ की आबादी से जनित घरेलू मल-जल लगभग 12.96 एम.एल.डी. का निस्तारण बिना किसी शुद्धिकरण के ही निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज उत्प्रवाह के संबंध में दिनांक 22.02.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जनपद-प्रतापगढ़ से जनित घरेलू मल-जल के शुद्धिकरण हेतु 8.95 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. कार्यदायी संस्था जल निगम, प्रतापगढ़ द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। निरीक्षण के समय सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (एस.टी.पी.) का सिविल कार्य, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य पूर्ण पाया गया, किन्तु सीवेज उत्प्रवाह एस.टी.पी. के इनलेट पर न आने के कारण सीवेज ट्रीटमेन्ट (एस.टी.पी.) का संचालन नही होता पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सीवरेज पाईप लाईन का कार्य पूर्ण नही होने के कारण सीवेज उत्प्रवाह सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (एस.टी.पी.) के इनलेट तक नही लाया जा रहा जिसके कारण एस.टी.पी. का संचालन कार्य नही किया जा सका है।

यह कि वर्तमान में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज हेतु माडयूलर एस.टी.पी. स्थापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत स्कीन, एयरेशन एवं फिल्ट्रेशन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। जिसे दिनांक 15.01.2020 से किया जाना अवगत कराया गया। निरीक्षण के समय सीवेज उत्प्रवाह का आंशिक भाग उक्त व्यवस्था के माध्यम से शुद्धिकृत कर एवं सीवेज उत्प्रवाह का शेष भाग शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले के माध्यम से संई नदी में निस्तारित किया जाता पाया गया।

यह कि निरीक्षण के समय माडयूलर ट्रीटमेन्ट के इनलेट (सिटी ड्रेन), माडयूलर ट्रीटमेन्ट के आउटलेट एवं माडयूलर एस.टी.पी. से बाई पास होता हुआ सीवेज का नमूने का विश्लेषण केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से किया गया, जो मानको के अनुरूप नही पाया गया।

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली द्वारा पत्रांक- 847/एस.टी.पी./2012-13 दिनांक 01.02.2013, पत्रांक- 1335/नगर पालिका परिषद/पी/16-17 दिनांक 28.01.2017, पत्रांक-512/एस.टी.पी./पी/2017-18 दिनांक 15.07.2017, पत्रांक- 1305/एस.टी.पी. -स0/2017-18 दिनांक 18.01.2018 तथा पत्रांक- 696/एस.टी.पी./पी./18-19 दिनांक 10.09.2018 द्वारा नोटिस भी प्रेषित किया गया था।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या- 490/2019 में परित आदेश दिनांक 02.01.2020 में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की स्थापना पेन्डिंग होने तक अन्य विकल्प के माध्यम से सीवेज उत्प्रवाह के पोल्यूशन लोड को कम करते हुए प्रदूषित उत्प्रवाह को जल स्रोत (Water Body) में मिलने से रोकने हेतु आदेश...

....

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Kha
Gomti Nagar, Lucknow-22601
e-mail: info@uppcb.co
Web site www.uppcb.co

पारित किये गये है, जिसका अनुपालन नही पाया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या –593/2017, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य मं पारित अदेश दिनांक 03.08.2018 के अनुपलान में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन "Methodology for Assessing Environmental Compensation" द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने हेतु फार्मुला तैयार किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 10.09.208 से दिनांक 22.02.2020 तक (530 दिवस) के उल्लघंन हेतु रू0 3650 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी की अनुमति से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर 3650 लाख (रूपय तीन हजार छः सौ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 10.09.208 से दिनांक 22.02.2020 तक (530 दिवस) के उल्लघंन हेतु रू0 3650 लाख (रूपय तीन हजार छः सौ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार कुल 530 उल्लंघन दिनों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 3650 लाख (रूपय तीन हजार छः सौ पचास लाख मात्र) अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ०/c

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हुए प्राप्ति की रसीद एवं 15 दिन के उपरान्त अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट ससमय बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

संलग्नक-10

E mail ...
दि० 24-8-2020
को प्राप्त। ...

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बेला-प्रतापगढ़।

पत्रांकः17 /न0पा0परि0-2020

दिनांक 17 मार्च 2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-5
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक सं0-48688/सी-5/सा0-527/2020 दिनांक 06.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि दिनांक 16.03.2020 को जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ द्वारा पृष्ठांकित है तथा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को दिनांक 19.03.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के पदनाम के विरुद्ध दिनांक 10.09.2018 से 22.02.2018 तक (530 दिवस) की प्राक्कलित पर्यावरणीय क्षति पूर्ति 3650 लाख रूपये (तीन हजार छः सौ पचास लाख रूपये मात्र) अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में "कारण बताओ" नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये है। निदेशानुपालन में प्रस्तरवार स्पष्टीकरण निम्नवत् है:-

यह कि विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद,बेला,प्रतापगढ़ सीमान्तर्गत राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ सीवरेज निस्तारण कार्य हेतु अंकन 1820.75 लाख रूपये की योजना वर्ष 2009-10 में स्वीकृत हुई तथा राज्य द्वारा उ0प्र0 जल निगम प्रतापगढ़ को कार्यदायी संस्था नियुक्त करते हुए सीधे उसके पक्ष में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की गयी अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 1642.75 लाख रूपये का व्यय कार्यदायी संस्था द्वारा योजना के कार्यो में किया गया जबकि शेष धनराशि को तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा योजना से पृथक कार्यो में व्ययवर्तित कर दिया गया जिस कारण से योजना के कार्य पूर्ण नहीं हो सके। चूंकि उपर्युक्त स्वीकृत योजना में धनावंटन सीधे उ0प्र0 जलनिगम को किया गया इसलिए उसके द्वारा जो भी कार्य कराये गये उसमें नगर पालिका परिषद,बेला-प्रतापगढ़ का न ही कोई नियन्त्रण रहा और न ही कोई हस्तक्षेप रहा फलस्वरूप आज की तिथि में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जलनिगम प्रतापगढ़ द्वारा योजना न तो पूर्ण की गयी है और न ही योजना को नगर पालिका परिषद को हस्तानान्तरित किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि आज की तिथि में योजना की वर्तमान एवं वास्तविक स्थिति के लिए मात्र उ0प्र0 जलनिगम प्रतापगढ़ ही उत्तरदायी है न कि नगर पालिका परिषद,बेला-प्रतापगढ़। ऐसी दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी बनाया जाना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता।

यह कि प्रतापगढ़ सीवरेज निस्तारण योजना के अपूर्ण रहने के दृष्टिगत मा0 सांसद प्रतापगढ़ के अनुरोध तथा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के विशेष प्रयास पर कार्यदायी संस्था पैक्सफेड द्वारा अपनी सहयोगी संस्था टिली मेंक्युअस हाईटेक प्रा0लि0 के माध्यम से बेल्हा देवी मन्दिर के निकट बायो रेमिडिएशन तथा आई. एस.आर. माड्युलर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना की गयी है। परन्तु जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि उपर्युक्त कार्य मा0 सांसद प्रतापगढ़ के अनुरोध तथा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ की विशेष रूचि के कारण पैक्सफेड द्वारा कराया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त कार्य की योजना विरचित करते समय उसमें पालिका को कार्यदायी संस्था द्वारा सम्मिलित नही किया गया। विद्युत संयोजन न होने के कारण भी उक्त प्लान्ट पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहा है जिससे योजना के अपेक्षा के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई तथापि नगर पालिका परिषद,बेला-प्रतापगढ़ द्वारा अब अपने स्तर से अवशेष सीवेज उत्प्रवाह को भी शोधित करने हेतु स्कीनिंग मड-वाल्वस बायो रेमिडिएशन आदि का प्रयोग करते हुए सीवेज को शुद्धिकृत करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें सफलता मिलने की प्रबल सम्भावना है।

यह कि नगर पालिका परिषद,बेल्हा-प्रतापगढ़ को क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रायबरेली द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्रांक 847/एस.टी.पी./2012-13 दिनांक 01.02.2013, पत्रांक 1335, नगर पालिका परिष/पी/16-17 दिनांक 28.01.2017, पत्रांक 512/एस.टी.पी./2017-18 दिनांक 15.07.2017, पत्रांक 1305/एस.टी.पी.सं0/2017-18 दिनांक 18.01.2018 तथा पत्रांक 696/एस.टी.पी./पी./18.18 दिनांक 10.09.2018 द्वारा प्रेषित समस्त नोटिसे अधोहस्ताक्षरी के पदभार ग्रहण करने की तिथि 06.03.2019 के पूर्व की है जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी को कोई जानकारी नही थी और न ही कार्यालय द्वारा उसको कोई जानकारी उपर्युक्त नोटिसों के सम्बन्ध मे उपलब्ध करायी गयी।

यह कि नगर पालिका परिषद,बेला–प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी के रूप मे दिनांक 06.03.2019 को पदभार ग्रहण करने के उपरान्त जब से सीवेज निस्तारण योजना के बारे मे अधोहस्ताक्षरी को वस्तु स्थिति की जानकारी हुई तब उसने तत्काल प्रकरण के त्वरित निस्तारण के प्रयास आरम्भ किये। जनपद के उच्च अधिकारियों से सीवेज निस्तारण की अधूरी योजना की वास्तविक स्थितियों से समय–समय पर अवगत कराते हुए अपूर्ण योजना को शीघ्र पूर्ण कराने का अनुरोध किया तथा अवशेष नालों से निकलने वाले सीवेज को उपचारित कराये जाने वाले कार्यो को भी कराये जाने का अनुरोध किया। जनपद के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी शासन स्तर पर अपूर्ण सीवरेज योजना को शीघातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु समुचित पत्राचार किया गया फलस्वरूप प्रभावी कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलित है। पत्र संलग्न है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 02.01.2020 के आलोक में ही सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के संचालित होने तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदूषण को कम करने के दृष्टिगत आबादी से जनित सीवेज के उत्प्रवाह को शोधित करने के उद्देश्य से बायोरेमिडिएशन का कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 जलनिगम प्रतापगढ़ से आगणन तैयार कराते हुए निविदा आदि की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है जो प्रकियाधीन है तथापि निविदा प्राप्त फर्म को कार्यादेश जारी होने तक ग्रीन वे टेक्नालाजी गाजियाबाद के तकनीकी सहयोग से अपने संसाधनों से चार नालों पर सीवेज उत्प्रवाह को उपचारित करने हेतु बायो रेमिडिएशन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है जिसमें स्कीनिंग मड़ वाल्वस, बालू की बोरियों से बांध बनाकर बायोरिमिडिएशन कर जल शोधन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही बायो रेमिडिएशन आई. एस.आर. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को निर्वाध रूप से संचालित करने हेतु फैक्स फेड से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग के समक्ष विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया जा चुका है। विद्युत संयोजन प्राप्त होते ही संयंत्र का संचालन निर्वाध रूप से होने लगेगा।

यह कि जहॉ। तक अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,बेला–प्रतापगढ़ के विरूद्व 3650 लाख रूपये पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति अधिरोपित किये जाने का प्रश्न है तत्सम्बन्ध में अति विनम्रता पूर्व अवगत कराना चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद,बेला–प्रतापगढ़ एक "सी" श्रेणी का नगर–निकाय है जिसके वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित है और वह किसी भी दशा में प्राक्कलित क्षति–पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं है।

उपर्युक्त प्रस्तरवार स्पष्टीकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीवेज उत्प्रवाह को परिशोधित करने हेतु अपने स्तर से सतत् हर सम्भव सर्वोत्तम प्रयास किये गये है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के प्रचलित दिशा–निर्देशों का समादार भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है और भविष्य में उनका अनुपालन करते रहने के आश्वासन के साथ प्रकरण को इसी स्तर पर निक्षेपित करते हुए प्राक्कलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को क्षमा करने की याचना के साथ स्पष्टीकरण सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,बेल्हा–प्रतापगढ़।

प्रतिलिपिः–
(1) सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2) सदस्य सचिव महोदय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(4) क्षेत्राधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,बेल्हा–प्रतापगढ़।

सं०-११

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या– G33529 /सी–5/सामान्य-527/2020

दिनांक 27/08/2020

पंजीकृत

सेवा में,

सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 490/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2020 आदेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 490/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2020 आदेश के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को पत्र संख्या एच 48668/सी–5/सा0–527/2020 दिनॉक 06–3–2020 के माध्यम से प्रतापगढ़ सीमान्तर्गत अशुद्धिकृत सीवेज सीधे सई नदी में निस्तारित करने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु तैयार की गई कार्यप्रणाली के अनुसर रू0 3650.0 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस का संदर्भ लेना चाहें। **(सुलभ संदभ हेतु छायाप्रति संलग्न)**

इस संबंध में अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ का पत्र संख्या।700न0पा0परि0–2020 दिनॉक 27.3.2020, ई–मेल के माध्यम से बोर्ड में दिनॉक 24.8.2020 को प्राप्त हुआ है, का भी संदर्भ लेना चाहें। अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से प्राप्त पत्र दिनॉक 27.3.2020 की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि इस संबंध में अपनी समयक् टिप्पणी बोर्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना चाहें ताकि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर दिनॉक 27.3.20 का परीक्षण कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित एक सप्ताह में बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेव साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Kha
Gomti Nagar, Lucknow-2260
e-mail: info@uppcb.c
Web site www.uppcb.c

पत्रांक ..1609/सा.; एम एस
दिनांक .22/10/20

संख्या– 771 / 81–6–2020–26(पर्या) / 2017टी0सी0

प्रेषक,

संजय सिंह
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 **लखनऊः दिनांकः** 19 **अक्टूबर, 2020**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–जी–33879 / सी–5 / 61 / ओ0ए0नं0–490 / 2019 / 2020, दिनांक 13.10.2020 (छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उक्त पत्रों के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या–490 / 2019 टी0एस0सी0 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 02.01.2020 में पारित आदेश के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से सीमान्तर्गत अशुद्धिकृत सीधे सई नदी में निस्तारित करने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु तैयार की गयी कार्य प्रणाली के अनुसार रूपये 3650.00 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर के क्रम में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 27.03.2020 की प्रति बोर्ड द्वारा संलग्न कर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अद्यतन नगर विकास विभाग से सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अप्राप्त है।

अग्रेतर प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"........The State PCB is at liberty to initiate prosecution and recover compensation following due process of law...."

CEO (C-5) / Lo

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव
21/10/20

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–490 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर अधिरोपित 3650.00 लाख की

Imp
23/10/2020
EE

–2–

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में तत्काल अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ई–मेल आई0डी0–info@uppcb.com) को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके पत्रांक–जी–33879 / सी–5 / 61 / ए0ओ0नं0–490 / 2019 / 2020, दिनांक 13.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–.........................../सी–5/सा०-527/21   दिनांक.............
पंजीकृत

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ की आबादी से जनित घरेलू मल–जल लगभग 12.96 एम.एल.डी. का निस्तारण शुद्धिकृत किये बिना सई नदी में किये जाने के कारण बोर्ड के पत्रांक–एच 48668/सी–5/सा0–527/2020 दिनांक 06.03.2020 द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 27.03.2020 को प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा वर्तमान में सीवेज को शुद्धिकृत करने के प्रयास किये जाने का उल्लेख करते हुए नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेप किये जाने का अनुरोध किया गया है।

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज को शुद्धिकृत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित नगर पालिका परिषद/स्थानीय निकाय का है, परन्तु विगत वर्षो में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा प्रदूषित सीवेज को शुद्धिकृत किये बिना सई नदी में निस्तारित किये जाने के कारण सई नदी की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से जनित सीवेज को शुद्धिकृत कर मानकों के अनुरूप निस्तारित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से दिनांक 01.02.2013, 28.01.2017, 15.07.2017, 18.01.2018 एवं 10.09.2018 को नोटिस प्रेषित किये गये, परन्तु उसका अनुपालन तत्समय में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा नही किया गया। नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर दिनांक 27.03.2020 से स्वतः स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 22.02.2020 तक प्रदूषित सीवेज को शुद्धिकृत किये जाने का पर्याप्त प्रयास नही किया गया।

यह कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2020 के संबंध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से प्राप्त प्रतिउत्तर दिनांक 27.03.2020 की प्रति संलग्न कर सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 27.08.2020 एवं पुनः सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 19.08.2020 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित किया गया कि इस संबंध में सम्यक टिप्पणी बोर्ड को उपलब्ध कराना चाहें, ताकि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके, परन्तु तद्दिनॉक तक नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन से उक्त के संबंध में कोई आख्या बोर्ड को प्राप्त नही हुई।

.....2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा अपने पत्र संख्या–63/ओ0ए0 नं0–490/2019/आर/21–21–22 दिनांक 17.06.2021 द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को अशोधित सीवेज को सई नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु दिनांक 06.03.2020 को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित संस्तुति दिनांक 17.06.2021 एवं उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोनदोपरान्त नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ को बोर्ड के पत्रांक–एच 48668/सी–5/सा0–527/2020 दिनांक 06.03.2020 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:–

1. नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 10.09.2018 से दिनांक 22.02.2020 तक (कुल 530 दिवस) के उल्लंघन हेतु रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

अतः उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–**701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड– **UBIN0570150** जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा भू–राजस्व की भॉति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों को होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अतिरिक्त सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हुए प्राप्ति की रसीद एवं 15 दिन के अन्दर नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

संलग्नक-14

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी- ब्लॉक, इंदिरा नगर आवास विकास कॉलोनी,
रायबरेली-229001 (उ0प्र0)

पत्रांकः-67 /O.A. 490/2019/R/2021-22 दिनांक:21/06/2021

सेवा में, **पंजीकृत**
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

विषयः- पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 06.03.2020 को नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ को जारी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में नगर विकास विभाग से कोई सम्यक आख्या बोर्ड को प्राप्त नही होने के कारण आपको निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या H62569/सी-5/सा0 527/21 दिनांक 21/06/2021 के माध्यम से रु0 3650 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है उक्त आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है की पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अधिरोपित क्षतिपूर्ति दिए गए खाते में जमा कराते हुए बोर्ड मुख्यालय एवं इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करे।

भवदीय

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1- जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
2-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत-5) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

15 S27/3.
18/8/21

11

सं-15

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बेला- प्रतापगढ़।

पत्रांकः 27 /न0पा0परि0-2021

दिनांक 23 जून, 2021

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

19.8.21

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा याचिका संख्या-490/2019 टी0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 02.01.2020 के आलोक मे नगर पालिका परिषद, बेला-प्रतापगढ़ पर आबादी से जनित घरेलू मल जल को बिना शुद्धिकृत किये सई नदी मे प्रवाहित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रायबरेली के माध्यम से पत्र संख्या-एच48668/सी-5,सा0-527/20, दिनांक-06.03.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन मे अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-1700/न0पा0परि0-2020, दिनांक-27मार्च, 2020 के माध्यम से तथ्यपरक स्पष्टीकरण/आख्या क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियत्रण बोर्ड को प्रेषित की गयी थी, जिसकी एक प्रति शासन को भी प्रेषित की गयी थी, परन्तु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्रांक-एच62569/सी-5, सा0-527/21, दिनांक-21जून, 2021 के माध्यम से आदेश पारित करते हुए पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति अंकन-3.650लाख रूपये अधिरोपित करते हुए 15दिवस के अंदर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के खाते में जमा कराने हेतु आदेशित किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने उपर्युक्त आदेश मे यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग से कोई टिप्पणी नही प्राप्त हुई है। अतएव कारण बताओ नोटिस दिनांक-06.03 2020 को पुष्ट किया जाता है। विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, बेला-प्रतापगढ एक छोटा स्थानीय निकाय है तथा इसके वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित है। ऐसी दशा में मात्र 15 दिवस के अदर इतनी भारी भरकम क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु आदेशित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है। यद्यापि की उपर्युक्त आदेश के सम्बन्ध मे विभाग के उच्चाधिकारियो को अवगत कराते हुए उनसे मार्ग दर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अस्तु मार्ग दर्शन प्राप्त होने तक आदेश के क्रियान्वयन को स्थागित रखना न्याय संगत प्रतीत होता है। अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी द्वारा अपने उत्तर मे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण मे उसके द्वारा कभी कोई शिथिलता नही बरती गयी है तथा वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियो के लिए नगर पालिका परिषद, बेला-प्रतापगढ़ उत्तरदायी नही है, क्योकि नगरक्षेत्र में आबादी से जनित मल-जल निस्तारण हेतु प्रतापगढ़ जलोत्सारण योजना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत करने के उपरात उत्तर प्रदेश जलनिगम प्रतापगढ के पक्ष मे स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा आज की तिथि तक उत्तर प्रदेश जलनिगम, प्रतापगढ द्वारा योजना को न ही पूर्ण किया गया है और न ही नगर पालिका परिषद, बेला-प्रतापगढ को हस्तगत किया गया है, तथापि अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी के संज्ञान मे जब से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के दिशा निर्देश आये है तभी से प्रार्थी/अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीमित संसाधनो के बावजूद घरेलू मल-जल के उपचार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए नगर के प्रमुख चार नालो पर बायोरेमिडिएशन संयत्र के माध्यम से शोधित जलोत्सर्जन सुनिश्चित कराया गया है तथा परिणाम स्वरूप जॉच जल द्वारा की गयी जॉच दिनाक-19. 03.2020 (प्रथम), 25.01.2021 (द्वितीय) एव 08.06.2021(तृतीय) द्वारा प्राप्त सैम्पलिंग आख्या बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0 एव टी0एस0एस0 में जल का शोधन लगभग निर्धारित मानक के अनुरूप पाया गया है। अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जलोत्सारण योजना जिससे उत्तर प्रदेश जल निगम प्रतापगढ द्वारा पूर्ण किया जाना था, पूर्ण न होने के कारण ही वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है और इसके लिए नगर पालिका परिषद, बेला-प्रतापगढ को उत्तरदायी बनाया जाना न्याय की नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत प्रतीत होता है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपर्युक्त परिस्थितियो के आलोक मे नगर पालिका परिषद, बेला प्रतापगढ़ पर क्षेत्राधिकारी रायबरेली द्वारा प्रेषित संस्तुति दिनांक-17.06.2021 के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश जिसमें अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि अंकन-3,650लाख रूपये को जमा कराने हेतु आदेशित किया गया है को अपास्त करते हुए नगर पालिका परिषद, बेला-प्रतापगढ को अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से मुक्त करने का कष्ट करें।

प्रार्थी

23/6/2021

(अधिशासी अधिकारी)
नगर पालिका परिषद, बेला-प्रतापगढ़।

VD/SO/ASO
27.8.21

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

4-10-21

पत्रांक/संख्या-H66609 /सी-5/STP/सा0-527/21 दिनांक 4/10/21

पंजीकृत

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
प्रतापगढ़।

विषयः नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा मानकों के विपरीत सीवेज निस्तारण के कारण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ की आबादी से जनित घरेलू मल-जल लगभग 12.96 एम.एल.डी. का निस्तारण शुद्धिकृत किये बिना सई नदी में किये जाने के कारण बोर्ड के पत्रांक-एच 62569/सी-5/सा0-527/21 दिनांक 21.06.2021 द्वारा आपके विरूद्ध रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2020 की पुष्टि करते हुए 15 दिन के अन्दर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड के पक्ष में जमा करने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ का प्रतिउत्तर दिनांक 23.06.2021 प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली से आख्या प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या-300/एन.जी.टी. ओ0ए0 490/आर/2021-22 दिनांक 24.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र से जनित प्रदूषित सीवेज उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने का उत्तरदायित्व नगर पालिका का है एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का ऑकलन भी उस अवधि में किया गया है। जिस अवधि में नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई प्रयास नही किया गया था। अतः नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा अशोधित सीवेज उत्प्रवाह को सई नदी में निस्तारित किये जाने के कारण नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अन्तिम नोटिस दिनांक 10.09.2018 से निरीक्षण दिनांक 22.02.2020 तक अर्थात 530 दिवस के उल्लंघन के कम में रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः बोर्ड के पत्र संख्या-एच 62569/सी-5/सा0-527/21 दिनांक 21.06.2021 द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) उचित है। अतः नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा अध्यक्ष महोदय को प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 23.06.2021 सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त को निस्तारित किया जाता है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड के पत्रांक-एच 62569/सी-5/सा0-527/21 दिनांक 21.06.2021 द्वारा नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 3650 लाख (रूपये

...3

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) तत्काल बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या– **701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड– **UBIN0570150** जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 3650 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) तत्काल बोर्ड के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

सदस्य सचिव